प्रेस नोट **01/02/2025**

फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर धोखे से फ्राड गई रकम (1,00,000/.रू) पीड़ित के खाते में साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा वापस कराया गया–

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में साइबर अपराध व साइबर अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहें अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि तथा क्षेत्राधिकारी नगर/अपराध के निकट पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये आनलाइन ठगी के शिकार श्री गोधन गिरि पुत्र राजतन गिरि निवसी बैरासी थाना धोसी जनपद मऊ का फ्राडर की धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।

घटनाक्रमः-

साइबर फ्राडर ने आवेदक को "डरा-धमकार की आप एक पार्सल में ड्रग्स मिला अगर बचना है तो पैसे भेज दो बच जाओगें" फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर धोखे से फ्राड कर बैंक खाता में 1,00,000/- रू जामा करा लिया फ्राड कि जानकारी हुई जिसपर आवेदक द्वारा तत्काल साइबर पोर्टल पर शिकायत किया गया।

साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है

किसी भी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तत्काल निम्नलिखित तरिकों के माध्यम से सूचना दें।

1. साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930/112 पर कॉल करें।
2. www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। तथा जनपद थाना व साइबर क्राइम सेल से तत्काल सम्पर्क करें।

बरामदकर्ता-

निरीक्षक हरेन्द्र कुमार यादव मय टीम, साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद-मऊ।

केवाईसी अपडेट करने के नाम पर फॉड की गयी कुल धनराशि 8866 रुपये थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए केवाईसी अपडेट करने के नाम पर फॉड की गयी, पीडित मो0 सादिक पुत्र फजल जावेद निवासी खैराबाद थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कुल धनराशि 8866 रुपये को अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना मुहम्मदाबाद के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया । साइबर अपराध

किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र नाथ राय थाना मुहम्मदाबाद, निरिक्षक अपराध, म0आ0 प्रियंका मिश्रा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ द्वारा अवैध कच्ची शराब कुल 902 लीटर का कराया गया विनष्टीकरण–

"आपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में बरामद/मुकदमाती मालों/अवैध शराब का कराया जा रहा विनष्टीकरण। शराब विनष्टीकरण के तहत मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 01.02.2025 को तहसीलदार मुहम्मदाबाद व प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद श्री रविन्द्र नाथ राय के उपस्थिति में थाना मुहम्मदाबाद में कुल 16 अभियोगों से सम्बंधित अवैध मादक पदार्थ (शराब) कुल 902 लीटर को गढ्ढा खोदकर गढ्ढे में माल को गिराकर नष्ट कराया गया तथा मिट्टी से पटवाया गया जिसका मौके पर फोटो विडियोग्राफी किया गया।

पॉक्सो एक्ट में वांछित 01 एक अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 01.02.2025 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर लाखीपुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 50/2025 धारा 74,137(2),352,351(2) बीएनएस व 9M/10 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त धनन्जय पुत्र बैजू उर्फ बैजनाथ निवासी ग्राम तिलई खुर्द नेवादा थाना घोसी जनपद मऊ गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एक दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व ₹3,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 31-01-2025 को मु0अ0सं0 66/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्त सनी राजभर उर्फ दिनेश पुत्र मुन्ना राजभर निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि एवं ₹3,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 सप्ताह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।